(भारतसरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेलमंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवेबोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 13/2020
GST Circular No. 8 /2020

2018/AC-II/1/14

4th February, 2020

General Managers,
All Zonal Railways/ Production Units

Sub : Matching of GSTR-2A data – Input Tax credit reconciliation.

Ref : Railway Board's letter issued as RBA No. 08/2020 dated 18.1.2020.

Railway Board vide letter ibid had brought out the processes that need to be followed by zonal railways/ production units in order to reconcile the Input Tax Credit amounts in IPAS data vis-à-vis GSTR-2A data and take appropriate action for any mismatch identified. This was followed with a video-conference held on 30th January, 2020. CRIS had brought out the processes that are required to be followed in ASP Portal wherein invoice level matching is done between data available from IPAS system and data available in GSTR-2A on GSTN portal online. In supersession of RBA No. 08/2020, all Zonal Railways/ Production Units are hereby requested to take below mentioned action on respective category of transactions:

S. No.	Category	Details of category	Actions to be taken *[either by Zonal Railways ('ZR') or PUs or CRIS/ASP Team]*
1	Matched	Invoices for which all the details recorded in IPAS and invoices uploaded by vendor are matched	CRIS/ASP team will accept these invoices as Matched based upon IPAS data and will accordingly avail ITC in GST returns.
2	Mismatched	Invoices recorded in IPAS and have also been uploaded by vendors wherein all details of invoice are	**Mismatches within tolerance limit of Rs. 100 in GST Amount** • No action is required from Railways. • CRIS/ASP team will accept these invoices as Matched based upon IPAS data and will accordingly avail ITC in GST returns.

Scanned by CamScanner

S. No.	Category	Details of category	Actions to be taken *[either by Zonal Railways ('ZR') or PUs or CRIS/ASP Team]*
		matching **<u>except for the Taxable Value and GST amount</u>**	**<u>Mis matches having difference of more than Rs. 100 in GST Amount</u>** ZRs and PUs shall verify the Paid Vouchers. There may be two scenarios:- 1. Wrong entry made by Railways viz., clubbing of invoices, etc. Details of such mistakes shall be reported to Railway Board/CRIS so that this can be analysed and matched subsequently. 2. Wrong entry made by Vendor shall be taken up with the vendors by ZRs and PUs and correction got done through amendments in vendor's GSTR1 Return. **Note:** In case it is found out that these mismatch are on account of scenarios where some deduction or retention made from invoice *(say 90% payment done for invoice and 10% is to be paid in later months)*, such category of invoices shall be specifically marked and shared by ZRs/ PUs to Railway Board and CRIS/ASP Team. On the basis of the response received from ZRs and PUs, CRIS/ASP and IPAS Team shall devise a system of matching of such invoices..
3	2A Non Modifiable	Invoices recorded in IPAS and have also been uploaded by vendors wherein all details of invoice are matching (including invoice no.) except for below: a. Date	**<u>Cases where invoice date as per IPAS is later than the date reported by Supplier</u>** • No action is required from railways. • CRIS/ASP team will accept these invoices as Matched and will accordingly avail ITC in GST returns. **<u>Cases where invoice date as per GSTR-2A is later than the date recorded in IPAS</u>** CRIS/ASP team will accept these invoices as Matched and will accordingly avail ITC

Scanned by CamScanner

S. No.	Category	Details of category	Actions to be taken *[either by Zonal Railways ('ZR') or PUs or CRIS/ASP Team]*
		b. Place of Supply (POS) c. RCM flag d. Supply type	in GST returns. **However, ZRs and PUs shall do a post audit of such cases to vouch the authenticity of such invoices and identify the reasons for such gap between the invoice dates and take remedial action.** **In case of mismatch in any other category such as POS or RCM flag,** ZRs and PUs shall check such invoices and identify the reasons for such mismatches and also, follow up with the vendors/IPAS in case the mistake is identified.
4	Probable Match	• Minor difference in Invoice No. • Mismatch in Invoice No. and Taxes within tolerance limit of Rs. 100/- in Taxes.	Examples: i. Invoice no. as per IPAS is 220190301226 and as per GSTR-2A is 0220190301226 ii. Invoice no. as per IPAS is 6289 and as per GSTR-2A is 6289-19/20 iii. Invoice no. as per IPAS is 19-20/216 and as per GSTR-2A is RI/19-20/216 iv. Invoice no. as per IPAS is 3444 and as per GSTR-2A is 19-20/0034441 CRIS/ASP team will accept these invoices as Matched and will accordingly avail ITC in GST returns. **However, ZRs and PUs shall do a post audit of such cases to vouch the authenticity of such invoices and identify the reasons for such gap between the invoice dates and take remedial action. It shall be the sole responsibility of the Zonal Railways/PUs for this.**
5	Missing in 2A	Invoices which are recorded in IPAS but have not been uploaded by vendors	In case of such transactions, concerned zonal railway/ production unit shall communicate with the respective vendors and get these invoices uploaded in vendor's GSTR-1 at the earliest.

Scanned by CamScanner

S. No.	Category	Details of category	Actions to be taken *[either by Zonal Railways ('ZR') or PUs or CRIS/ASP Team]*
6	Missing Purchase	Invoices which have been uploaded by vendors but the same have not been recorded in IPAS	In case of such transactions, ZRs/ PUs shall verify: • Whether such invoices pertain to vendors of Indian Railways. If yes, then the same will get populated in IPAS as and when admitted for payment. • If such vendors does not pertain to IR, then it shall be intimated to CRIS/ ASP team to take appropriate action in ASP portal, for rejection in GSTR-2A.
7	Others	Mismatch in Invoice No. type of taxes, date and invoice type	Modification screen shall be provided in IPAS. Basis POS, type of taxes can be modified, subject to overall tax remains same. For example, if CGST+SGST is Rs. 10/-, then it can be modified to IGST for Rs. 10/-. Authorized by **a Gazetted officer and under the supervision not less than JAG and above**.

All the Zonal Railways/Production Units may complete this exercise latest by 14th February, 2020 positively. This may please be treated as most urgent in view of the financial implications involved in not being able to avail Input Tax Credit.

4/2/2020

(V.Prakash)
Joint Director/Accounts
Railway Board

Copy to:

1. PFAs of all Zonal Railways and Production Units;
2. All EDs of ED level Empowered Committee in Railway Board;
3. All Directors of GST Cell, Railway Board;
4. GM/GSTM, CRIS, New Delhi.
5. GM/Finance/IPAS, CRIS, New Delhi.

Scanned by CamScanner

भारत सरकार/Government of India
रेल मंत्रालय/Ministry of Railways
(रेलवे बोर्ड)/(Railway board)

आरबीए सं. 13/2020
जीएसटी परिपत्र सं. 8/2020

सं. 2018/एसी-II/1/14 फरवरी, 2020

महाप्रबंधक
सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां

विषय : जीएसटीआर-2ए डाटा का मिलान - इनपुट टैक्स क्रेडिट समाधान.

संदर्भ : रेलवे बोर्ड द्वारा दिनांक 18.01.2020 को जारी आरबीए सं. 08/2020

रेलवे बोर्ड द्वारा पूर्वोक्त पत्र के तहत उन प्रक्रियाओं को लाया गया जिनका क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा आईपीएएस डाटा में इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि के साथ-साथ जीएसटीआर डाटा का समाधान करने और चिह्नित किए गए बेमेल डाटा, यदि कोई हो, तो उस पर उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए अनुसरण किए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद 30 जनवरी, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस की गई। क्रिस द्वारा लाई गई प्रक्रियाओं का अनुसरण एएसपी पोर्टल में किया जाना है जिसमें आईपीएएस प्रणाली से उपलब्ध डाटा और जीएसटीएन पोर्टल ऑनलाइन पर जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध डाटा के बीच बीजक स्तर मिलान किया गया है। आरबीए सं. 08/2020 के अधिक्रमण में, सभी क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों से अनुरोध है कि वे संव्यवहार की संबंधित कोटि पर निम्नलिखित कार्रवाई करें :

क्र.सं.	कोटि	कोटि का ब्यौरा	की जाने वाली कार्रवाई (क्षेत्रीय रेलों या उत्पादन इकाईयों अथवा क्रिस/एएसपी टीम द्वारा)
1	मिलान किया गया डाटा	बीजक आईपीएएस में दर्ज कर लिए गए हैं तथा वेंडर द्वारा अपलोड किए गए बीजकों के ब्यौरे आपस में	क्रिस/एएसपी टीम इन बीजकों को स्वीकार करेगी जैसा कि आईपीएएस डाटा के आधार पर मिलान किया गया है और तदनुसार

Scanned by CamScanner

		मिलते हैं।	जीएसटी रिटर्न में आईटीसी प्राप्त करेगी।
2	डाटा का न मिलना	बीजक, आईपीएएस में दर्ज किए गए और उन्हें वेंडरों द्वारा अपलोड भी कर दिया गया है जिसमें कर योग्य मूल्य और जीएसटी राशि के अलावा बीजक के सभी ब्यौरों का मिलान हो रहा है।	**<u>जीएसटी राशि में 100/-रू. की छूट की सीमा के भीतर डाटा का न मिलना</u>** • रेलों से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। • क्रिस/एएसपी टीम इन बीजकों को स्वीकार करेगी जैसा कि आईपीएएस डाटा के आधार पर मिलान किया गया है और तदनुसार जीएसटी रिटर्न में आईटीसी प्राप्त करेगी। **<u>जीएसटी राशि में 100 रू. से अधिक का अंतर होने पर डाटा का न मिलना</u>** क्षेत्रीय रेलों और उत्पादन इकाइयों द्वारा भुगतान किए गए वाउचरों का सत्यापन किया जाएगा । इससे दो प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं :- 1. रेलों द्वारा गलत प्रविष्टि अर्थात् बीजकों का इकट्ठा होना आदि। ऐसी गलतियों के बारे में रेलवे बोर्ड/क्रिस को सूचित किया जाए ताकि इनका विश्लेषण करके इनका मिलान किया जा सके।

Scanned by CamScanner

			2. क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां वेंडर का ध्यान वेंडर द्वारा की गई गलत प्रविष्टि की ओर लाएं और वेंडर की जीएसटीआर 1 रिटर्न में संशोधन करके इसमें शुद्धि करें। **टिप्पणी** : यदि यह पाया गया कि डाटा का न मिलना उन स्थितियों के कारण है जहां बीजक से कुछ कटौती या प्रतिधारण किया गया हो (उदाहरणत: बीजक के लिए 90% का भुगतान कर दिया गया है और 10% का भुगतान बाद के महीनों में किया जाएगा), बीजकों की ऐसी कोटि को क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों द्वारा विशिष्ट रूप से चिहि्नत करके रेलवे बोर्ड और क्रिस/एएसपी टीम के साथ साझा किया जाए। क्षेत्रीय रेलों/उत्पादन इकाइयों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर क्रिस/एएसपी और आईपीएएस टीम द्वारा ऐसे बीजकों के मिलान के लिए एक प्रणाली तैयार की जाएगी।
3	2ए गैर-परिवर्तनीय	वे बीजक जो आईपीएएस में दर्ज कर लिए गए हैं और उन्हें वेंडरों द्वारा अपलोड भी कर दिया गया है, में	**ऐसे मामले जहां आईपीएस के अनुसार बीजक की तारीख आपूर्तिकर्ता द्वारा रिपोर्ट की गई तारीख के बाद की है**

Scanned by CamScanner

		निम्नलिखित के अलावा बीजक के सभी ब्यौरों का मिलान हो रहा है (बीजक सं. सहित) : क. तारीख ख. आपूर्ति का स्थान ग. आरसीएम फ्लैग घ. आपूर्ति की किस्म	• रेलों से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। • क्रिस/एएसपी टीम मिलान किए गए डाटा के आधार पर इन बीजकों को स्वीकार करेगी और तदनुसार जीएसटी रिटर्न में आईटीसी प्राप्त करेगी। **ऐसे मामले जहां जीएसटीआर-2ए के अनुसार बीजक की तारीख आईपीएस में दर्ज की गई तारीख के बाद की है** क्रिस/एएसपी टीम मिलान किए गए डाटा के आधार पर इन बीजकों को स्वीकार करेगी और तदनुसार जीएसटी रिटर्न में आईटीसी प्राप्त करेगी। **हालांकि, क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां ऐसे बीजकों की प्रामाणिकता को प्रमाणित करने और बीजकों की तारीख में आए ऐसे अंतर के कारण की पहचान करके उस पर उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए ऐसे मामलों की कार्योत्तर संपरीक्षा करेगी।** **किसी अन्य कोटि जैसे पी ओ एस या आरसीएम फ्लैग में डाटा के न मिलने पर** क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां ऐसे

Scanned by CamScanner

			बीजकों की जांच करेंगी और डाटा न मिलने के कारणों की पहचान करेंगी तथा यदि गलती की पहचान हो जाती है तो वेंडरों/आईपीएएस के साथ आगे की कार्यवाही भी करेंगी।
4	संभावित मिलान	• बीजक संख्या में लघु अंतर • करों में 100/-रू. की छूट की सीमा के भीतर बीजक सं. और करों में डाटा का न मिलना	उदाहरण : (i) आईपीएएस के अनुसार बीजक सं. 220190301226 है और जीएसटीआर-2ए के अनुसार बीजक सं. 0220190301226 है (ii) आईपीएएस के अनुसार बीजक सं. 6289 है और जीएसटीआर-2ए के अनुसार 6289-19/20 है (iii) आईपीएएस के अनुसार बीजक सं. 19-20/216 है और जीएसटीआर-2ए के अनुसार आरआई/19-20/216 है (iv) आईपीएएस के अनुसार बीजक सं. 3444 है और जीएसटीआर-2ए के अनुसार 19-20/0034441 है क्रिस/एएसपी टीम आईपीएएस डाटा के आधार पर मिलान किए गए के रूप में इन

Scanned by CamScanner

			बीजकों को स्वीकार करेगी और तदनुसार जीएसटी रिटर्न में आईटीसी प्राप्त करेगी । **हालांकि, क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां ऐसे बीजकों की प्रामाणिकता को प्रमाणित करने और बीजकों की तारीख में आए ऐसे अंतर के कारण की पहचान करके उस पर उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए ऐसे मामलों की कार्योत्तर संपरीक्षा करेगी।** **इसके लिए केवल क्षेत्रीय रेलों और उत्पादनों इकाइयों की ही जिम्मेदारी होंगी ।**
5	2ए में न होने पर	ऐसे बीजक जिन्हें आईपीएएस में दर्ज कर लिया गया है परंतु वेंडरों द्वारा अपलोड नहीं किया गया है	ऐसे संव्यवहारों के मामले में, संबंधित क्षेत्रीय रेलवे/उत्पादन इकाई संबंधित वेंडरों से संपर्क करके इन बीजकों को जल्द से जल्द वेंडर के जीएसटीआर-1 में अपलोड करवाएं ।
6	ऐसी खरीद जिसे शामिल नहीं किया गया	ऐसे बीजक जो वेंडरों द्वारा अपलोड कर दिए गए हैं लेकिन उन्हें आईपीएएस में दर्ज नहीं किया गया है	ऐसे संव्यवहारों के मामले में, क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां सत्यापित करें कि : • क्या ऐसे बीजक भारतीय रेल के वेंडरों से संबंधित हैं । यदि हां, तो भुगतान के लिए प्रस्तुत करते समय इसे आईपीएएस में शामिल किया जाएगा । • यदि ऐसे वेंडर भारतीय रेल से संबंधित नहीं हैं, तो इसके बारे में

Scanned by CamScanner

			क्रिस/एएसपी टीम को सूचित किया जाए ताकि ज़ीएसटीआर-2ए में अस्वीकृति हेतु एएसपी पोर्टल में उचित कार्रवाई की जा सके ।
7	अन्य	बीजक सं., कर की किस्म, दिनांक और बीजक की किस्म का मिलान न होना	आईपीएएस में आशोधन स्क्रीन की सुविधा प्रदान की जाएगी । पी ओ एस आधार, कर की किस्म आशोधित की जा सकती है बशर्ते कि कुल कर समान रहे। उदाहरणार्थ यदि सीजीएसटी+एसजीएसटी 10/-रू है तो आईजीएसटी में 10/- रू के लिए आशोधन किया जा सकता है । **राजपत्रित अधिकारी जो कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से कम का नहीं हो या उससे ऊपर के ग्रेड का हो, के पर्यवेक्षण में की जाएं।**

सभी क्षेत्रीय रेलें/उत्पादन इकाइयां यह कार्य 14 फरवरी 2020 तक अवश्य पूरा कर लें । इनपुट टैक्स क्रेडिट ना ले पाने के लिए इसमें अंतर्निहित वित्तीय पहलुओं को देखते हुए कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

(वी. प्रकाश)
संयुक्त निदेशक/लेखा
रेलवे बोर्ड

Scanned by CamScanner